पटना में दिनांक–02 फरवरी, 2016 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

उद्योग विभाग

1.	वित्तीय वर्ष 2015–16 अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु संभाव्यता प्रतिवेदन/सर्वेक्षण /अध्ययन मोबिलाईजेशन, सफलता एवं अनुश्रवण शुल्क के भुगतान हेतु ₹ 2500.00 लाख (पचीस करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

2.	माननीय मुख्यमंत्री के निजी कर्मियों की सुविधा पुनर्निधारित करने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

3.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत सम्मिलित महिला समाख्या कार्यक्रम हेतु केन्द्रांश के प्रथम किस्त के तदर्थ रूप में भारत सरकार से प्राप्त सामान्य (General) के लिए ₹ 1,59,00,000/–SCPSC के लिए ₹ 37,00,000/–रूपये तथा TASP के लिए ₹ 4,00,000/–रूपये यानि कुल ₹ 2,00,00,000/–(दो करोड़ रूपये) की केन्द्रीय अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति एवं राशि की विमुक्ति।	3.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

4.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना मद से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत स्थापित 114 नये प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण पूर्ण कराने हेतु रू० 631.45 लाख (छः करोड़ एकतीस लाख पैंतालीस हजार रूपये) सहायक अनुदान मद में व्यय करने की स्वीकृति।	4.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

5.	बिहार न्यायिक सेवा में ₹ 11,23,71,473/–(ग्यारह करोड़ तेईस लाख इकहत्तर हजार चार सौ तिहत्तर रूपये) मात्र के वार्षिक व्यय भार पर अवर न्यायाधीश (सिविल जज, वरीय कोटि) कुल 94 (चौरानबे) पदों का सृजन।	5.	स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

6. बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) के साथ उपाबद्ध अनुसूची एवं पेशाकर नियमावली में संशोधन करने के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

7. सदर एवं अनुमंडलीय अस्पतालों के मुख्य व्यय शीर्ष विपत्र कोड–N2210011100013 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक एवं ममता कार्यकत्ताओं के मानदेय भुगतान हेतु व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28–01) इकाई में कुल ₹ 41,00,00,000/–(एकतालीस करोड़ रू०) मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से राशि प्राप्त कर व्यय किये जाने की स्वीकृति। — 7. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

8. डा० रामविलास सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल कैमूर संप्रति निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

वित्त विभाग

9. अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को मंहगाई भत्ता/राहत की दरों में दिनांक–01/07/2015 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति। — 9. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

10. गाँधी संग्रहालय, पटना को स्थापना व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹ 10,00,000/– (दस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 10. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11. राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 मे ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना के बालिका छात्रावास निर्माण हेतु कुल रू० 1,00,00,000/– (एक करोड़) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति। — 11. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

12. पेट्रोल एवं डीजल पर अधिभार की दर 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 30 प्रतिशत किए जाने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

13. बिहार विकास मिशन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 46 (छियालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति। — 13. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2014–15 का अव्यवहृत अवशेष राशि का बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से ₹ 14,94,40,000.00 (चौदह करोड़ चौरानवे लाख चालीस हजार) अग्रिम की स्वीकृति। — 14. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

15. विभाग के पुराने एवं अप्रचलित अभिलेखों के सुरक्षित रख–रखाव एवं डिजिटाईजेशन के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

16. बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 एवं बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 में संशोधन करने के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

17. बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली–2016 के गठन के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

18. वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल ₹ 3.00 करोड़ (₹ तीन करोड़) मात्र की अनुमानित लागत पर शत्–प्रतिशत केन्द्रीय योजनागत–योजना के तहत नेशनल प्लान फॉर डेयरी डेवलपमेन्ट अन्तर्गत राज्य के 14 जिलों यथा फेज–VII अन्तर्गत सारण, शेखपुरा, खगड़िया एवं दरभंगा, फेज–VIII अन्तर्गत भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर तथा फेज–IX अन्तर्गत सीतामढ़ी, पूर्वी एवं पश्चिमी चम्पारण, शिवहर, गोपालगंज एवं सिवान में समेकित गव्य विकास कार्यक्रम की योजना का क्रियान्वयन कॉम्फेड, पटना के माध्यम से क्रियान्वित करने की स्वीकृति। — 18. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

19.	राज्य के चीनी उद्योग के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में राज्य के गन्ना उत्पादक कृषकों को पेराई सत्र 2015–16 के लिए बढ़े ईख मूल्य के ससमय भुगतान सुनिश्चित कराने के निमित्त राज्य की चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में इनके द्वारा पेराई सत्र 2015–16 में क्रय किये गए गन्ने पर 21.75 रू. प्रति क्विंटल की दर से ईख मूल्य अनुदान देने, पेराई सत्र 2015–16 के लिए ईख "क्रय–कर" (**Purchase Tax**) की अदायगी से छूट प्रदान करने एवं क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन ईख मूल्य के दर का **1.80%** से घटाकर **0.20%** का पुनर्निधारण करने की स्वीकृति के संबंध में।	**19.**	**स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा)

20.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत 156 नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित करते हुए आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए प्रति विद्यालय ₹115.50 लाख (एक करोड़ पन्द्रह लाख पचास हजार) की प्रशासनिक स्वीकृति के तहत राज्य योजना से अतिरिक्त ₹57.38 लाख (संतावन लाख अड़तीस हजार) रूपये प्रति विद्यालय की दर से ₹8951.28 लाख (नवासी करोड़ इक्यावन लाख अट्ठाईस हजार) रूपये की स्वीकृति एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–2016 में ₹1404.00 लाख की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।	**20.**	**स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

21.	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली के पुनर्स्थापन कार्य के अन्तर्गत नयी संरचनाओं के निर्माण एवं बचे रह गये कार्यो जिसकी प्राक्कलित राशि ₹58.00 करोड़ (रूपये अनठावन करोड़) मात्र है, का राज्य योजना मद के अन्तर्गत प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।	**21.**	**स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

22.	कैमूर जिलांतर्गत दुर्गावती जलाशय योजनान्तर्गत सी० वर्क्स के आवश्यक अतिरिक्त कार्य हेतु डी०पी०आर० तैयार करने का कार्य। (प्राक्कलित राशि–38.00 लाख (अड़तीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।	**22.**	**स्वीकृत।**

कृषि विभाग

23. वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) मद में अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रशिक्षण हॉल का सुदृढ़ीकरण एवं किसान चौपाल का आधुनिकीकरण की योजना हेतु कुल 148.82 लाख रूपये (एक करोड़ अड़तालीस लाख बेरासी हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। **23. स्वीकृत।**

कृषि विभाग

24. वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत गोदाम निर्माण की योजना हेतु कुल 1508.00 लाख रूपये (पन्द्रह करोड़ आठ लाख रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। **24. स्वीकृत।**

कृषि विभाग

25. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत कुल 7538.77 लाख रूपये (पचहत्तर करोड़ अड़तीस लाख सतहत्तर हजार रूपये) (केन्द्रांश 7325.00 लाख रूपये एवं राज्य योजना 213.77 लाख रूपये) के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा हरित क्रांति उप योजना मद में भारत सरकार से केन्द्रांश की द्वितीय किस्त की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। **25. स्वीकृत।**

कृषि विभाग

26. कृषि रोड मैप के अधीन गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिये वर्ष 2015–16 में जिरो टिलेज विधि का प्रत्यक्षण एवं संबंधित मदों के लिये राज्य योजना के अंतर्गत 3481.55 लाख रूपये (चौंतीस करोड़ एकासी लाख पचपन हजार) की लागत से योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति। **26. स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

28.	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा 136 की उप–धारा (1) के खंड (ट) को विलोपित करने हेतु बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2016 प्रख्यापित करने की स्वीकृति के संबंध में।	28.	स्वीकृत।